न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
64 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	18.11.2019	09.12.2024

सत्यनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री मनमोहन सिंह राठौर पुत्र श्री बाबूलाल साहू निवासी बापू बाजार झिलाई तह. निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स शुभम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304025।

2–मैसर्स शुभम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304025।

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री राजेश कुमार सैनी उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 09.12.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.05.2019 को समय 02:30 पी.एम. पर मैसर्स शुभम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य करोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री मनमोहन सिंह राठौर पुत्र श्री बाबूलाल साहू अपने प्रतिष्ठान मैसर्स शुभम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक पर खादय प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मनमोहन सिंह राठौर पुत्र श्री बाबूलाल साहू को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मनमोहन सिंह राठौर पुत्र श्री बाबूलाल साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नही होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विकय करने हेतु दुकान में कन्फैक्शनरी, नमकीन, बिस्किट, स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज के साथ–साथ दुकान में 5 कार्टून में 120 मूल पैक बोतल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 250–250 एम.एल. पैक **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (डिजायर ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एवं मिलावट की शंका होने पर श्री मनमोहन सिंह राठौर पुत्र श्री बाबूलाल साहू को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मनमोहन सिंह राठौर पुत्र श्री बाबूलाल साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (डिजायर ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 37 एवं पैकिंग की दिनांक 29.04.2019 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 250–250 एम.एल. पैक के 48 मूल पैक **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (डिजायर ब्राण्ड)** नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुद **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (डिजायर ब्राण्ड)** 250–250 एम.एल. पैक को ज्यों का त्यों 12–12 नग के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2175 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2175 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विकता श्री मनमोहन सिंह राठौर पुत्र श्री बाबूलाल साहू ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/19/1283 दिनांक 03.06.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/1262/एक्ट/2019/861 दिनांक 29.05.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (डिजायर ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री राजेश कुमार सैनी उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर percentage Quantity मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (डिजायर ब्रण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (डिजायर ब्रण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.12.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/12/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौकरिया)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0